प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।
2–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
उ0प्र0।

पत्रांक : राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/8375 लखनऊ/दिनांक 13/04/2020

विषयः–सार्वजनिक स्थानों पान मसाला/तम्बाकू एवं कैफे, बार, लाउन्ज, रेस्तरां, आदि में हुक्का, चिलम एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंधित एवं आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश–786/तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके है।

आप अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश एवं हेल्पलाइन नम्बर–18001805145 जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–एफ0एस0डी0ए0/खाद्य/1122, दिनांक 25.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,(छायाप्रति संलग्न),

तंबाकू पीने वाले व्यक्ति शीशा, निकोटिन या औषधि, सब्जी और फल के रस, किण्वित सब्जी, किण्वित फल को तंबाकू के साथ या बिना तंबाकू के किसी अन्य पदार्थ के साथ हुक्का पीने वाल अथवा जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करते हैं, दोनों लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

अवगत कराना है कि हुक्का से निकला धुआँ जहरीला होता है, इसमें खतरनाक कैंसरकारी तत्व होते हैं और इससे कैंसर, असाध्य रोग, जन्म के समय कम वजन और अन्य बीमारियाँ होती हैं।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269 में निर्धारित किया गया है कि–जो व्यक्ति अवैध तरीके से या शासन के आदेशों की उपेक्षापूर्वक कोई भी ऐसा कार्य करता है, जिससे उसके अथवा जिसे वह जानता अथवा पहचानता हो, उसके जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, उसे छः माह के लिए कारावास की सजा हो सकती है या अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 में निर्धारित किया गया है कि, जो कोई भी अवैध तरीके से कोई भी ऐसा कार्य करता है, जिससे, और जिसे वह जानता है, के जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, उसे दो वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है या अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 278 में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी किसी भी स्थान पर वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करता है जो सामान्य आवास में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या पड़ोस में इसे फैलाता है या सार्वजनिक स्थान पर इसे फैलाता रहता है, उसे 500 रूपये का अर्थदण्ड की सजा हो सकती है।

आपको अवगत कराना है कि जन–स्वास्थ्य के हित में कोरोना वायरस (कोविड–19) को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कैफे, बार, लाउंज, रेस्तरां, आदि में हर तरह के हुक्का पेश करने और पीने के कृत्य को प्रतिबंधित करना जरूरी है, अतः इस प्रकार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान में योगदान मिलेगा।

अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान–मसाला खाकर इधर–उधर थूंकने तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाना सुनिश्चित करें साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों/अधिनियमों इत्यादि के अर्न्तगत नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिष्चित करें।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

महानिदेशक
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/ लखनऊ/दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–प्रमुख सचिव, शहरी विकास उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3–वैयक्तिक सहायक, प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
4–सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
5–आयुक्त, खाद्य एवं सुरक्षा उ0प्र0।
6–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
7–उपमहाप्रबन्धक एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
8–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9–पुलिस आयुक्त, लखनऊ व जी0बी0 नगर।
10–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11–आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
12–अधिसाशी निदेशक, उत्तर प्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।
2–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
उ0प्र0।

पत्रांक : राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/ लखनऊ/दिनांक 13/04/2020

विषयः–सार्वजनिक स्थानों पान मसाला/तम्बाकू एवं कैफे, बार, लाउन्ज, रेस्तरां, आदि में हुक्का, चिलम एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंधित एवं आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश–786/तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके है।

आप अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश एवं हेल्पलाइन नम्बर–18001805145 जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–एफ0एस0डी0ए0/खाद्य/1122, दिनांक 25.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,(छायाप्रति संलग्न),

तंबाकू पीने वाले व्यक्ति शीशा, निकोटिन या औषधि, सब्जी और फल के रस, किण्वित सब्जी, किण्वित फल को तंबाकू के साथ या बिना तंबाकू के किसी अन्य पदार्थ के साथ हुक्का पीने वाल अथवा जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करते हैं, दोनों लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

अवगत कराना है कि हुक्का से निकला धुआँ जहरीला होता है, इसमें खतरनाक कैंसरकारी तत्व होते हैं और इससे कैंसर, असाध्य रोग, जन्म के समय कम वजन और अन्य बीमारियाँ होती हैं।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269 में निर्धारित किया गया है कि–जो व्यक्ति अवैध तरीके से या शासन के आदेशों की उपेक्षापूर्वक कोई भी ऐसा कार्य करता है, जिससे उसके अथवा जिसे वह जानता अथवा पहचानता हो, उसके जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, उसे छः माह के लिए कारावास की सजा हो सकती है या अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 में निर्धारित किया गया है कि, जो कोई भी अवैध तरीके से कोई भी ऐसा कार्य करता है, जिससे, और जिसे वह जानता है, के जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, उसे दो वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है या अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 278 में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी किसी भी स्थान पर वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करता है जो सामान्य आवास में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या पड़ोस में इसे फैलाता है या सार्वजनिक स्थान पर इसे फैलाता रहता है, उसे 500 रूपये का अर्थदण्ड की सजा हो सकती है।

आपको अवगत कराना है कि जन–स्वास्थ्य के हित में कोरोना वायरस (कोविड–19) को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कैफे, बार, लाउंज, रेस्तरां, आदि में हर तरह के हुक्का पेश करने और पीने के कृत्य को प्रतिबंधित करना जरूरी है, अतः इस प्रकार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान में योगदान मिलेगा।

अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान–मसाला खाकर इधर–उधर थूंकने तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाना सुनिश्चित करें साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों/अधिनियमों इत्यादि के अर्न्तगत नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिष्चित करें।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

महानिदेशक
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/8376–87 लखनऊ/दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–प्रमुख सचिव, शहरी विकास उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3–वैयक्तिक सहायक, प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
4–सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
5–आयुक्त, खाद्य एवं सुरक्षा उ0प्र0।
6–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
7–उपमहाप्रबन्धक एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
8–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9–पुलिस आयुक्त, लखनऊ व जी0बी0 नगर।
10–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11–आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
12–अधिसाशी निदेशक, उत्तर प्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

निदेशक (स्वास्थ्य)